ग,बिहार सरकार के पत्रांक15/ एम-1-129/2010-1713दिनांक27.08.2015 के आलोक में निम्नलिखित अंगीभूत महाविद्यालय में कला, विज्ञान संकाय के प्रतिष्ठा व सामान्य स्तर के विभिन्न विषयों में सीटों की बढ़ोतरी इस प्रकार की जा रही है:-

College	Course	Subject Group	Seat sanctioned by State govt. from Session 2010-2011	No. of seats Increased 20 % शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 15/ एम- 1 - 129 /2010-1713 दिनांक 27.08.2015
R.N. College, Hajipur	BSc	Chemistry	80	96
R.N. College, Hajipur	BSc	Mathematics	320	360
R.N. College, Hajipur	BSc	Zoology	256	302
R.N. College, Hajipur	BSc	Botany	77	93
R.N. College, Hajipur	BSc	Electronics	32	39
R.N. College, Hajipur	BCom	Business Environment	64	77
R.N. College, Hajipur	BSc	Physics	256	306
R.N. College, Hajipur	BA	Urdu	148	178
R.N. College, Hajipur	BA	Hindi	80	96
R.N. College, Hajipur	BA	History	310	372
R.N. College, Hajipur	BA	Economics	96	116
R.N. College, Hajipur	BA	English	80	96
R.N. College, Hajipur	BA	Psychology	154	185
R.N. College, Hajipur	BA	Political Science	186	223
R.N. College, Hajipur	BA	Philosophy	148	178
R.N. College, Hajipur	BA	Sanskrit	148	178
R.N. College, Hajipur	BA	Music	32	39
R.N. College, Hajipur	BA	Sociology	64	77
R.N. College, Hajipur	BA	Geography	64	77
R.N. College, Hajipur	BA	Home Science	64	77

Attested

PRINCIPAL
R.N. College, Hajipur

Raj Narain College I.Q.A.C. Hajipur

23/1/2021
DSW
B.R.A.B.U. Muzaffarpur

Babasaheb Bhimrao Ambedkar
Bihar University
Muzaffarpur (Bihar)-842001

(Phone+Fax No.:-0621-2243071)

(Website:-www.brabu.net)

R.N. College, Hajipur

Sl No.	Subject	Sanctioned Seats	Proposed Seats (Only for 2022-24)
1	Physics	48	64
2	Chemistry	48	48
3	Botany	48	48
4	Zoology	48	72
5	Mathematics	64	72
6	Political Science	64	72
7	Economics	64	72
8	Hindi	64	72
9	English	64	72
10	History	64	96
11	Philosophy	48	32
	Total	624	720

23/7/23 23/7/23 23/7/23 Alitab 23/7/23 23/07/23 23/7/23 23/7/23

Attested

PRINCIPAL
R.N. College, Hajipur

Raj Narain College I.Q.A.C. Hajipur

बी० आर० अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

इन्टरमीडिएट/ स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन सम्बन्धी नियमावली

बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन) आरक्षण अधिनियम 2003 द्वारा निम्नांकित प्रावधान है :-

नामांकन में आरक्षण विनियमन 1- पूर्णत: या अंशत: सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान(ओं) में नामांकन निम्नांकित रीति से विनियमित किया जा सकेगा, यथा :-

क- खुला, गुणागुण कोटि से - 50 प्रतिशत
ख- आरक्षित कोटि से - 50 ,,

2- आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों में आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन निम्नांकित रूप से होगी :-

क- अनुसूचित जातियाँ	:-	16 प्रतिशत
ख- अनुसूचित जन जातियाँ	:-	01 ,,
ग- अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	:-	18 ,,
घ - पिछड़ा वर्ग	:-	12 ,,
ङ - पिछड़ा वर्ग की महिलायें	:-	03 ,,
	कुल :-	50 प्रतिशत

3- सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु निर्धारित मापदंड प्राप्तांक आदि के सम्बन्ध में निम्नतर अर्हता वाले अभ्यर्थियों को नामांकन का क्रमिक अवसर देने के बाद यदि किसी आरक्षित कोटि का आरक्षण प्रतिशत पूरा नहीं हो तो उसे निम्नांकित रीति से विनियमित किया जायेगा।

क- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच विनिमय संभव होगा।
ख- अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों के बीच विनिमय संभव होगा।

उपधारा (क) से एवं (ख) में उल्लिखित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद यदि किसी आरक्षित वर्ग का आरक्षण प्रतिशत पूरा नहीं हो पाता है तो उक्त रिक्तियों के उसी सत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से उसे समापक रूप से अनारक्षित घोषित कर दिये जाने पर उसके विरुद्ध गैर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार का नामांकन उक्त सत्र के लिए प्रशासी विभाग द्वारा कर दिया जायेगा।

ग- पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में उन रिक्तियों को निम्नांकित अधिमानता क्रम में भरा जायेगा।

1- अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से।
2- अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों से।
3- अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से।
4- पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से।

उपर्युक्त अधिसूचनाओं के आलोक में सभी वर्गों में नामांकन किये जायेंगे।

4- स्वीकृत स्थानों के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणियों के छात्र/छात्रा के लिए नामांकन में निम्नांकित प्रावधान है :-

1- एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, स्काउट गाइड, खेल-कूद, सांस्कृतिक - कला आदि, प्रौढ़ शिक्षा के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर - 5 प्रतिशत

क्र०:3

Attested
PRINCIPAL
R.N. College, Hajipur

Raj Narain College
I.Q.A.C.
Hajipur

2. प्राचार्य के ऐच्छिक कोटा के अन्तर्गत	:-	2 प्रतिशत
3. कुलपति के ऐच्छिक कोटा के अन्तर्गत	:-	2 ..
4. शारीरिक रूप से विकलांग छात्र तथा अंधा एवं बहरा छात्र-छात्रा के लिए	:-	3 ..
5. महाविद्यालयों के दाता के लिए	:-	1 ..
6. महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालय के शिक्षकों के आश्रितों के लिए	:-	2 ..
7. महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय कर्मियों के आश्रितों के लिए	:-	2 ..
8. विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के आश्रितों के लिए :-	:-	1 ..
9. सैनिकों के आश्रितों के लिए	:-	1 ..
10. स्थानान्तरित सरकारी सेवकों के लिए	:-	1 ..
11. विदेशी छात्रों के लिए	:-	1 ..

आश्रितों की श्रेणियां :-

प्रथम श्रेणी :- पुत्र , पुत्रियां , पत्नी , पति ,
द्वितीय श्रेणी :- दामाद, भतीजा, भतीजी, सहोदर छोटा भाई एवं बहन

कुल प्रायोगिक एवं अप्रायोगिक वर्गों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है ।

विजय 15.6.9

(विजय कुमार जायसवाल)
अ० स०, छात्र कल्याण ·

Raj Narain College I.Q.A.C. Hajipur

Attested
PRINCIPAL
R.N. College, Hajipur

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
– : अधिसूचना :–

पटना–15, दिनांक– 26-2-19

सं0–11/आ0नी0–I–03/2019 2622 "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019" की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करने एवं उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। – (1) यह नियमावली "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली 2019" कही जा सकेगी।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ। – इस अधिनियम में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम पदाधिकारी" से अभिप्रेत है किसी स्थापना में सेवाओं और पदों के संबंध में नियुक्ति करने हेतु सशक्त प्राधिकारी/कोई व्यक्ति जो शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु उत्तरदायी हो;

(ख) "विहित" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली द्वारा विहित और राजपत्र में प्रकाशित;

(ग) "स्थापना" से अभिप्रेत है, राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदो पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार;

(2) बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम–6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर धारित किया गया हो अथवा जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहायियकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता हो; और

(3) विश्वविद्यालय तथा इनसे संबद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया हो या सहायता प्रदान करती हो, और

(4) सार्वजनिक क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठान;

(घ) "सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना" से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत/नियंत्रित या प्रबंधित हो :–

(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग,

PRINCIPAL
R.N. College, Hajipur

Raj Narain College
I.Q.A.C.
Hajipur

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम–1, 1956) की धारा 617, में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगायी गई हो;

(ङ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेन्डम–F. No. 36039/1/2019-Estt. (Res.) दिनांक–19.01.2019 में यथा परिभाषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति; तथा जो भविष्य में समय–समय पर यथा संशोधित किया जाय ;

(च) "भर्त्ती वर्ष" से अभिप्रेत है पंचाग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्त्ती/नामांकन की जानी हो;

(छ) "आरक्षण" से अभिप्रेत है बिहार राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन मे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण;

(ज) "गुणागुण सूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा नियुक्ति करने के लिए या शैक्षणिक संस्थानों मे नामांकन के लिए लागू आदेशों के अनुसार गुणागुण क्रम से तैयार की गई व्यवस्थित उम्मीदवारों की सूची;

(झ) "राज्य" में सम्मिलित हैं बिहार राज्य की सरकार, विधानमंडल और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार एवं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान;

(ञ) "परिवार" में सम्मिलित है अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता हो, अभ्यर्थी के माता–पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन तथा पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतानें;

(ट) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत हैं इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;

3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीधी भर्त्ती एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के लाभ प्राप्त करने हेतु मानदंड (1) ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किये गए आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नहीं हैं, की पहचान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप मे आरक्षण के लाभ के लिए की जायेगी, जिनके परिवार की सभी श्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 (आठ) लाख रूपये से कम हो। वार्षिक आय आवेदन करने के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि से होने वाली समस्त श्रोतों से प्राप्त आयों को सम्मिलित किया जाएगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसम्पत्ति होगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसके परिवार की वार्षिक आय चाहे जो भी हो :–

(i) 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर;

(ii) एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट;

(iii) अधिसूचित नगरपालिका के अधीन 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड;

(iv) अधिसूचित नगरपालिका से इतर क्षेत्रों में 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

PRINCIPAL
R.N. College, Hajipur

Raj Narain College
I.Q.A.C.
Hajipur

(3) किसी "परिवार" द्वारा धारित की गई एक अथवा एक से अधिक स्थानों/शहरों में अवस्थित समस्त परिसंपत्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को अवधारण करने हेतु एक साथ जोड़ा जायेगा।

(4) इस प्रयोजनार्थ पद "परिवार" में वह व्यक्ति सम्मिलित है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता–पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई/बहन और उसके पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतान;

4. प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया।– नियम–3(2) की शर्त्तों के अधीन अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एवं विहित परिसम्पतियां धारित नहीं करने का प्रमाण–पत्र संबंधित जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में निर्गत किया जायेगा। संबंधित पदाधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र निर्गत करने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी से एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा यह घोषणा की जायेगी कि उसके परिवार के पास संबंधित अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पति नहीं है अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात् भी वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आते हैं। घोषणा प्रपत्र अनुसूची–II (प्रपत्र–II) के रूप में संलग्न है।

5. वैधता। – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

6. सत्यापन। – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन नियुक्तियां/नामांकन औपबंधिक एवं अभ्यर्थी द्वारा आय एवं परिसम्पति संबंधित प्रमाण–पत्र के सत्यापन के अध्यधीन होंगे। सत्यापन के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जाली/गलत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया पाये जाने पर सेवा/नामांकन, बिना अग्रेतर कार्रवाई के, समाप्त कर दिया जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

7. विनिमय। – यदि किसी भर्त्ती वर्ष में या किसी सत्र के नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन आरक्षित कोटि से भरे जाने वाले उम्मीदवार अधिनियम के अधीन विहित आरक्षण प्रतिशत तक उपलब्ध न हों तो बची हुई रिक्तियां/सीटें अग्रणित नही की जायेंगी। ऐसी रिक्तियाँ/सीटें उसी समव्यवहार/नामांकन वर्ष में खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवार से भर दी जायेंगी।

8. रोस्टर। – आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन आरक्षण उपलब्ध करने से संबंधित अनुसूची–III में दिया गया 100 (सौ) बिन्दुओं का आदर्श मॉडल रोस्टर अपनाया जायेगा।

9. कठिनाईयों का निराकरण। – यदि इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो, राज्य सरकार, ऐसा कदम उठा सकेगी या ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी, जो इस निमयमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, और जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26/2/19

सरकार के अपर सचिव

PRINCIPAL
R.N. College, Hajipur

Raj Narain College
I.Q.A.C.
Hajipur